

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

दिनांक - 07/03/18

क्रमांक रीडर/2018/537
प्रार्थीगण बनाम

विप्रार्थीगण


1 करनाराम 2
भूराराम 3 उदाराम
पिसरान अर्जुनराम
जाति जाट
निवासी सरणू
पनजी तहसील व
जिला बाड़मेर।

1 पुरखाराम 2 खीयाराम 3 चेतनराम पिसरान डूंगराराम 4 मगी
पत्नी डूंगराराम 5 हिमथाराम 6 मगनाराम 7 बाबू पिसरान डूंगराराम
8 जालाराम पुत्र उदाराम 9 मांगी पत्नी उदाराम 10 मालाराम 11
देवाराम पिसरान राजूराम 12 राजों पत्नी राजूराम 13 बाबू 14
चेतनराम पिसरान गोमाराम 15 भूरी पत्नी गोमाराम 16 भूराराम पुत्र
रूगाराम 17 डालूराम 18 मूलाराम 19 धन्नाराम पिसरान रायमलराम
20 माडू पत्नी रायमलराम 21 चेतनराम पुत्र सताराम 22 नोजी
पत्नी सताराम जाति जाट निवासी सरणू पनजी 23 अम्मेदाराम पुत्र
उदाराम 24 हेमी पत्नी उदाराम जाति जाट निवासी राईकों की
ढाणी सरणू पनजी 25 राणाराम 26 जसराम पिसरान भंवराराम 27
दाखू पत्नी भंवराराम जाति ब्राह्मण निवासी सरणू पनजी 28
उतमाराम 29 बाबू 30 भंवराराम पिसरान नैनाराम जाति दर्जी
निवासी सरणू भीमजी तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 42/2017 दिनांक- 23-02-18

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सरणू पनजी पटवार क्षेत्र सरणू तहसील व जिला बाड़मेर
के खसरा संख्या 266 रकबा 0.11 बीघा खसरा संख्या 450/265 रकबा 41.16 बीघा खसरा
संख्या 454/265 रकबा 14.15 बीघा कुल रकबा 57.02 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के
नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त
किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को
नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर
सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.
1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क
रुपये 500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण
द्वारा सौके पर अदा किया जावेगा।



(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 07/03/18

क्रमांक :- रीडर/2018/538-41

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सरणू तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. करनाराम पुत्र अर्जुनराम वगैराह जाति जाट निवासी सरणू पनजी तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी पुरखाराम पुत्र डूंगराराम वगैराह जाति जाट निवासी सरणू पनजी तहसील व जिला
बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर